Additional Custom Duty and Additional Custom duty in lieu of Central Excise.

Revival of BOGL, Durgapur

*94. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the product line of Bharat Opthalmic Glass Limited (BOGL), Durgapur;

(b) whether it is the only unit in the country manufacturing flint buttons;

(c) whether the strategic importance of BOGL was accepted by AAIFR in its hearing on revival of the company; and

(d) if so, Government's action plan in reviving BOGL as per the directions of the AAIFR?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKADER BAKHT): (a) The product line of Bharat Ophthalmic Glass Limited, Durgapur is Ophtalmic Flint Buttons (for use in bifocal lenses), Optical Glass items and Radiation Shielding Windows.

(b) Yes, Sir.

(c) AAIFR during its hearing observed that "the strategic importance of BOGL's production has not been denied by any party."

(d) As per the directions of AAIFR, the Operating Agency viz. IDBI prepared a revival package which was considered by the Government. Further, another revival package submitted by the management and the employees union of BOGL was also considered.

In both the draft revival packages it was found that the schemes would not establish long term economic and commercial viability of BOGL, even with financial restructuring and fresh infusion of funds.

However, to mitigate the hardships of the employees an employee friendly Voluntary Separation Scheme (VSS) has been introduced in BOGL with effect from 1.12.1998. It has been decided to extend the validity of VSS which was open upto 28.2.1999 for a further period of three months. It has also been decided to examine the viability of the company through a group of experts.

विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाना

*95. श्री राज मोहिन्दर सिंह:
श्री कपिल सिब्बल:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विविध सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाएं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के कार्य में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश में, विदेश में, तथा स्वदेश और विदेश, दोनों में कार्यरत संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रत्येक संस्था पर प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जाती है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाणिज्य मंत्री के तत्वावधान में देश तथा विदेश में विदेश व्यापार का संवर्धन करने में कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं तथा 1997-98 के दौरान निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा बाजार विकास और सहायता (एम०डी०ए०) निधि से इन संस्थाओं को रिलीज की गई राशि से संबंधित ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं॰	संस्था का नाम	वर्ष 1997-98 के दौरान रिलीज की गई सरकारी निधियां (लाख रु॰ में)
1.	अपारेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली	—
2.	बेसिल कैमिकल्स, फार्मा॰ एं कोसमेटिक्स ईपीसी, मुम्बई	68.50
3.	केशयू एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोच्ची	25.69
4.	कारपोट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली	51.00
5.	कैमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स ईपीसी, कलकत्ता	85.50
6.	कॉटन टैक्सटाइल्स एंक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई	—
7.	इलैक्ट्रानिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ईपीसी, नई दिल्ली	119.19
8.	इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता	337.46
9.	जैम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई	90.00
10.	एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, फॉर हैन्डीक्राफ्टस, नई दिल्ली	150.00
11.	हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चैन्नई	8.00
12.	इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई	28.37
13.	काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई	94.86
14.	ओवरसिस कंसट्रक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुम्बई	20.65
15.	प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई	24.15
16.	शैलेक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता	14.54
17.	स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई, दिल्ली	23.18
18.	सिंथेटिक एंड रेयन टैक्सटाइल्स ईपीसी, मुम्बई	29.00
19.	वूल एंड वूलेंस एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली	—
20.	दि पावरलूम डेवलेपमेंट एंड ईपीसी, मुम्बई	36.00
21.	फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आरगनाईजेशन, नई दिल्ली	264.84
22.	इंयिन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत	48.75
23.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई	32.50
24.	इंडियन काउंसिल ऑफ आरबिट्रेशन, नई दिल्ली	8.00
25.	इंडियन इंस्टयूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली	385.32
26.	इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आरगनाइजेशन, नई दिल्ली	67.00
27.	रबड़ बोर्ड कोट्टायम	—
28.	कॉफी बोर्ड, बैंगलोर	—

क्रम सं॰	संस्था का नाम	वर्ष 1997-98 के दौरान रिलीज की गई सरकारी निधियां (लाख रु॰ में)
29.	टी बोर्ड, कलकत्ता	—
30.	तम्बाकू बोर्ड गुंटूर	—
31.	स्पाइसिस बोर्ड, कोचीन	—
32.	एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथोरिटी, नई दिल्ली	—
33.	मेरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव॰ अथोरिटी, कोचीन	—
34.	एमएमटीसी लि॰, नई दिल्ली	—
35.	दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि॰, नई दिल्ली	12.34
36.	प्रोजेक्ट एंड ईक्युपमेंट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि॰, नई दिल्ली	—
37.	स्पाइसिस ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि॰, बंगलौर	—
38.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि॰, मुम्बई	—
	योग	2024.84

Welfare of Elderly People

*96. SHRI GOVINDRAM MIRI:
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government have decided to observe 1999 as the year of the elderly people; and

(b) if so, the details of the steps/ schemes launched or contemplated to ameliorate the pitiable condition of this section of society?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI) (a) Yes, Sir.

(b) A Nationa Policy for Older Persons has been launched by the Government to empower and ameliorate the condition of the older persons.

Implementation of Disabilities Act, 1995

*97. SHRI JANARDHANA POOJARY:
SHRI N.R. DASARI:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that number of States have taken no steps to implement "The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Act of 1995"; if so, the names of the States thereof;

(b) the reasons for which these States have not taken steps to implement the Act;

(c) whether Government have taken up the matter with the States and asked them to take urgent steps to implement the Act; and

(d) if so, the outcome thereof?